FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला मुकाम डूंगला
कालूलाल बनाम कन्हैयालाल किस्म मुकदमा प्रार्थना
पत्र धारा 212 आरटीए 60/2025 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित वकील प्रार्थी पक्ष की बहस को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है:- प्रार्थी श्री कालू लाल अहीर निवासी बिहारीपुरा की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार मेहता एडवोकेट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का विपक्षी श्री कन्हैयालाल पुत्र प्यारा अहीर निवासी बिहारीपुरा एवं श्री प्यारा पुत्र ताराचंद अहीर निवासी बिहारीपुरा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसको बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षीगण को जरिये समन नोटिस तलब किया गया विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से सुनवाई दिनांक 29-7-2025 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया आइंदा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुनने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. में वर्णित मौजा बिहारीपुरा पटवार मण्डल गाडोली गुजरान के खाता संख्या 12 नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में वर्णित आराजी नम्बर 206, 211, 25[illegible] 418, 419, 420, 422, 42[illegible] 533/533, 628[illegible], 34 किता 18 कुल रकबा 6.5570 है. [illegible] कुल लगान 15.2900 रुपये एवं खाता संख्या 15 में वर्णित	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी नम्बर 439 रकबा 0.4300 हैक्टेयर लगानी 2.55 रुपया स्थित है जो प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैतृक पुश्तैनी की होकर वादग्रस्त होने से विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश जारी कर आगामी पेशी तिथि दिनांक 19.8.2025 तक पाबन्द किया गया कि वादग्रस्त आराजियात में बिना संपरिवर्तन कराये निर्माण कार्य नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में कोई बाधा दखल पैदा नहीं करने एवं मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी कर सुनवाई दिनांक 19.8.2025 को नियत की गई। विपक्षीगण की ओर से श्री कमलेश योगी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। पत्रावली का एवं संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया तत्पश्चात पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी की है, तथा हक अधिकार मूल वाद में तय होंगे तब तक के लिए विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाता है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रसारित अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश को मूल वाद के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner